रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 939] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 29, 2013/वैशाख 9, 1935

No. 939] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 29, 2013/VAISAKHA 9, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2013

का.आ. 1070(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 41 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिर्दिष्ट करती है कि नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट अधिकारी अधिनियम के अधीन कोई अभियोजन संस्थित करने से पूर्व उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अपराधों का उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय करने पर शमन कर सकेगा, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	अपराध	शास्ति की रकम	शमन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर के पश्चात् नब्बे दिन तक विवरणी प्रस्तुत न करना।	वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त रकम की दो प्रतिशत या दस हजार रुपए, जो भी अधिक हो, की शास्ति।	गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग का विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम खंड का प्रभारी निदेशक या उपसचिव।
2.	प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर के पश्चात् इक्यानवें दिन के पश्चात् एक सौ अस्सी दिन तक विवरणी प्रस्तुत न करना।	वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त रकम की तीन प्रतिशत या बीस हजार रुपए, जो भी अधिक हो, की शास्ति।	गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग का विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम खंड का प्रभारी निदेशक या उपसचिव।
3.	प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर के पश्चात् एक सौ अस्सी दिन के पश्चात् विवरणी प्रस्तुत न करना।	वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त रकम की पांच प्रतिशत या पचास हजार रुपए, जो भी अधिक हो, के साथ एक सौ अस्सी दिन के पश्चात् विलंब के प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपए की शास्ति।	गृह मंत्रालय में विदेशी प्रभाग का विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम खंड का प्रभारी निदेशक या उपसचिव।

[सं. II/21022/23(49)/2012-एफसीआरए-III]

वी. वमलनमंग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2013

S.O. 1070(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 41 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), the Central Government hereby specifies that the officer specified in column (4) of the Table below, may, before institution of any prosecution under this Act, compound the offences specified in column (2) of the said Table on payment of the amount specified in column (3) of the said Table, namely :—

TABLE

S. No.	Offences	Amount of penalty	Officer competent for compounding
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Non-furnishing of return upto ninety days after 31st December every year.	Penalty of two per cent of the amount received during the Financial year or rupees ten thousand, whichever is higher.	The Director or Deputy Secretary in charge of the Foreign Contribution (Regulation) Act Wing of Foreigners Division in the Ministry of Home Affairs.
2.	Non-furnishing of return after ninety one days upto one hundred and eighty days after 31st December every year.	Penalty of three per cent of the amount received during the Financial year or rupees twenty thousand, whichever is higher.	The Director or Deputy Secretary in charge of the Foreign Contribution (Regulation) Act Wing of Foreigners Division in the Ministry of Home Affairs.
3.	Non-furnishing of return after one hundred and eighty days after 31st December every year.	Penalty of five per cent of the amount received during the Financial year or rupees fifty thousand, whichever is higher. with rupees five hundred per day of delay after one hundred and eighty days.	The Director or Deputy Secretary in charge of the Foreign Contribution (Regulation) Act Wing of Foreigners Division in the Ministry of Home Affairs.

[No. II/21022/23(49)/2012-FCRA-III]

V. VUMLUNMANG, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.